

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 07.10.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-05 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना छपिया पुलिस ने 01, थाना परसपुर ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामप्रकाश पुत्र बाले, 02. सुकेश पुत्र रामजियावन नि०गण ग्राम टेड़िया गढ़वलिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-244/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि०, 02. रामचरन पुत्र मुन्ना लाल नि०ग्राम बिसवा दामोदर मौजा महदेवा थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-245/21, 03. बुद्धिराम पुत्र मुन्ना लाल नि० बिसवा मौजा महादेवा थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-246/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कार्यवाही की गयी।

02. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. चन्द्रिका बरुवार पुत्र बृजलाल, 02. शान्तीदेवी पत्नी केशरी प्रसाद नि० दुल्हापुर खास थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 200 ग्राम यूरिया, 600 ग्राम नौसादर व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-249/21, धारा 272 भादवि, 60/60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 07.10.2021

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त शिवराम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. शिवराम पुत्र रामसूरत नि० वीरपुर खास थाना पयागपुर जनपद बहराइच।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-201/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता—

01. हे०का० शैलेन्द्र यादव।

02. का० मानवेन्द्र पाल सिंह।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 07.10.2021

800 ग्राम अवैध चरस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त रशीद खान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 800 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रशीद खान पुत्र स्वर्गीय आशिक खान नि0 खोरहंसा पूरब मोहल्ला थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—347/21, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 800 ग्राम अवैध चरस।

गिरफ्तार कर्ता—

01. उ0नि0 श्याम सुन्दर शर्मा मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 07.10.2021

लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त-01. सुरेश उर्फ बिक्की को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना कटराबाजार क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गये थे। जिसके सम्बन्ध में लड़की की माता द्वारा थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सुरेश उर्फ बिक्की नि० पुत्र मेलाराम नि० महाराजगंज उत्तरौला रोड थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-333/2021 धारा 363 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० जयहिन्द मय टीम।

